ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा–सामाजिक बदलाव

डॉ0 अन्जू *

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको स्वतंत्र हुए छः दशक से अधिक बीत चुके हैं। इस अवधि में समाज में बहुत बदलाव आया हैं समाज में इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण है देश में शिक्षा का बढ़ता स्तर। शिक्षा मानव की एक आधारभूत आवश्यकता है जो उसके कौशल निर्माण के साथ–साथ उसको जीवन में सभ्य होना भी सिखाती है। हम बिना शिक्षा की प्रगति के एक सभ्य एवं अनुशासित समाज की कल्पना नही कर सकते। शिक्षा किसी भी देश के कौशल विकास को प्रभावित करती है जिससे देश का आर्थिक विकास एंव संवृद्धि प्रभावित होती है, क्योंकि ये रोजगार सृजन एवं गरीबी व अन्य संबद्ध सामाजिक समस्याओं को कम करने का वातावरण तैयार करती है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व समान रूप से है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भारत की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत भाग निवास करता है इसलिये इस क्षेत्र में शिक्षा की उपयोगिता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं शहरों में गॉवो की अपेक्षा शिक्षा के अधिक संसाधन मौजूद रहते हैं इसलिये शहरों में गॉवों की अपेक्षा स्थिति बेहतर है। केन्द्र सरकार की ओर से हर बार के बजट में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कोई न कोई नई पहल की जाती है। सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार और साक्षरता दर बढ़ाने के लिये कई योजनायें चलाई जा रही हैं।

महात्मा गॉधी ने शिक्षा को बच्चों के सर्वागींण विकास का द्वार बताते हुए कहा है –''शिक्षा बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा की सर्वोत्तमता का सामान्य प्रकटीकरण है। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं आर्थिक विकास से संबद्ध है। यह विकास और समाज के सर्वांगीण को ही लक्षित करती है।

विश्व बैंक के तत्कालीन अर्थशास्त्री प्रो0 समर्स ने एक आकलन किया था जिसके अनुसार भारत मे एक सौ बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने में 32 हजार अमेरिकी डॉलर का खर्च आयेगा। जबकि इस धन के एवज में 43 शिशुओं और दो माताओं की मृत्यु रूकेगी एवं 300 जन्म रूकेंगे। इसके अतिरिकत उत्पादकता पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वह बोनस के रूप में होगा। जाहिर तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे–जैसे बालिकायें शिक्षित हो रही है, परिवार और समाज की कई समस्यों धीरे–धीरे समाप्त हो रही है। पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में जहां कन्या भूण हत्या से लेकर अन्य अनेक प्रकार के भेदभाव लड़कियों के साथ अधिक देखने में आते रहे है, वहॉ भी लोगों में जागरूकता आनी प्रारम्भ हो गई है। केन्द्र सरकार की ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना'' के पहले लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा देने वाली अनेक योजनायें अमल में लाई जा रही थी जिससे गॉवो में लड़कियों के शिक्षा पाने की तादाद बढ़ी।'[1]

स्वतंत्रता के पश्चात् पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था। तत्पश्चात् वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया। वर्ष 1979– 80 में 'अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 'प्रारम्भ किया गया ताकि उन बच्चों को साक्षरता की दौड़ में समावेशित किया जा सके जो पारिवारिक आर्थिक, या विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नही होने की वजह से विद्यालय नही जा पाये। इस कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हुए इसे ''शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा योजनाओं'' के नाम से सर्वशिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा है।

विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम ''राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'' का शुभारम्भ वर्ष 1988 के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु के व्यक्तियों में निरक्षरता के कलंक को मिटाकर शिक्षित समाज निर्माण की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में साक्षर भारत का प्रारम्भ 8 सितम्बर 2009 को किया गया था। यह

* सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

योजना 31 मार्च 2012 तक प्रचलन में थी। अब साक्षर भारत कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में सम्मिलित कर लिया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोन्नत व प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 के 'राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम' का श्री गणेश किया। इस कार्यक्रम के तहत मॉडल विद्यालयों के निर्माण, बालिकाओं को पाठ्य पुस्तके, लेखन सामाग्री व ड्रेस आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया ताकि बालिकायें भी शिक्षा पथ पर अग्रसर हो सकें। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली ग्रामीण बालिकाओं व महिलाओं के लिये वरदान साबित हो रही है।'[2]

देश में साक्षरता की रोशनी फैलाने हेतु वर्ष 2001 में सर्वशिक्षा अभियान का शुभारम्भ किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत मुख्य तौर पर ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनायें प्रारम्भ की गई। इस अभियान के तहत आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिये मुफ्त पाठ्यपुस्तके तथा अधिक आयु वाली बालिकाओं के लिये 'सेतू पाठ्यक्रम' की व्यवस्था की गई ताकि अधिकाधिक ग्रामीण बालिकाएं शिक्षा की राह पर अग्रसर होकर विकास की मुख्य धारा में समावेशित हो सकें। साथ ही स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सुधारने व सुदृढ़ करने के लिये कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था व परिवहन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया।

गांवों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिये ''मिड–डे मील योजना'' की शुरूआत 15 अग्रस्त 1995 में की गई। इस समय इसके माध्यम से लगभग 15 करोड़ बच्चों को लाभ पहुॅच रहा है। 28 नवम्बर 2001 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सभी राज्यों में मिड–डे मील देने का आदेश जारी किया। इस योजना के अन्तर्गत अनाज की व्यवस्था राज्य सरकार को एफ0सी0आई0 निःशुल्क करता है। इस योजना से गॉवों की उन परिवारों की लड़कियों को स्कूल जाने में सहुलियत हुई जो गरीबी के कारण और भूखे पेट रहने के कारण स्कूल नही जा पाती थी।

वर्ष 2004–05 में ''कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना'' प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत भौतिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों में लड़कियों के 75 स्कूल खोलने की योजना चलाई जाती है। यह योजना अन्य योजनाओं की तुलना में व्यवहारिक रूप से पीछे दिखती है। गांव की हर तबके की कन्यायें इससे जुड़कर शिक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की उधमिता को सीख रही है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21–ए और इसके अनुसार बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सारे देश मे 01 अप्रैल 2010 में लागू हो गया है। प्राथमिक शिक्षा को आन्दोलन का रूप दसवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसके लिये केन्द्र ने 28750 करोड़ रूपये का आवंटन किया। इससे गॉव के ऐसे परिवार जो बेसहारा और निर्धन थे, अपनी लाडली को पढ़ाने के लिये आगे आये। आज गॉव के अधिकांश परिवारों की लड़कियॉ साक्षर ही नही बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगे आ रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्यक्रम एवं योजनाओं को भी चलाया गया है–

- 1975– समेकित बाल विकास योजना
- 1982– स्वावलम्बन योजना
- 1989– महिला समाख्या योजना
- 1997– बाल स्वास्थ्य योजना
- 1997– बालिका समृद्धि योजना
- 1999– महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये विश्रामगृह योजना
- 2001– सर्वशिक्षा अभियान योजना
- 2003– जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना
- 2004– कस्तूरबा गॉधी विशेष बालिका विद्यालय योजना
- 2004– उज्जवला योजना
- 2005– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना
- 2006– बालिका प्रोत्साहन योजना
- 2006– जननी सुरक्षा योजना

- 2009– समेकित बाल संरक्षण योजना
- 2010– इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना
- 2012– सबला योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बालकों की तुलना में बालिकाओं की कम संख्या की समस्या को दूर करने के लिये हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरूआत की। श्री मोदी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि लोग पढ़ी–लिखी बहू घर में लाना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटियों को शिक्षा दिलाने से पहले कई बार सोचते है। इसलिये लोगों को इस दोहरी मानसिकता को भी छोड़ना होगा। इस योजना का उद्देश्य सम्बन्धित कानून को कड़ाई से लागू करके इसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कड़ी सजा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया ताकि लोग लड़के– लड़कियों में भेदभाव न कर सकें। देश भर के सौ जिलों को चिन्हित करके यह योजना शुरू की गई। लेकिन इस प्रकार की योजनाएं तभी सफल है जब समाज अपनी बेटियों को जिन्दगी और उनके मान–सम्मान की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो सके। अगर बेटियों के लिये अच्छा माहौल बनाया जा सके तभी बालिकाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। इस योजना का उद्देश्य है –

- लिंग भेद से पूर्वाग्रसित मनोवृत्ति को समाप्त करना।
- बालिका की उत्तरजीविका और संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिका के लिये शिक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिका के पोषण स्थिति में सुधार करना।
- बालिका के लिये संरक्षण माहौल को प्रोत्साहन देना।

क्र0 सं0	केन्द्र शासित प्रदेश	2011 जनगणना		2001 जनगणना	
		लिंगानुपात	बच्चियों का लिंगानुपात	लिंगानुपात	बच्चियों का लिंगानुपात
1	भारत	943	918	933	927
2	केरल	1084	964	1058	960
3	तमिलनाडु	996	943	987	942
4	आन्ध्रप्रदेश	993	939	978	961
5	छत्तीसगढ़	991	969	989	975
6	मेघालय	989	970	972	793
7	मणिपुर	985	930	974	957
8	उड़ीसा	979	941	972	953
9	मिजोरम	976	970	935	964
10	दिल्ली	868	871	921	868
11	गोआ	973	942	961	938
12	कर्नाटक	973	948	965	946
13	बिहार	918	935	919	942
14	हिमांचल प्रदेश	972	909	968	896
15	उत्तराखण्ड	963	890	962	908
16	उत्तर प्रदेश	912	902	898	916

17	त्रिपुरा	960	957	948	966
18	पंजाब	895	846	876	798
19	आसाम	958	962	935	965
20	हरियाणा	879	834	861	819
21	प0 बंगाल	950	956	934	960
22	झारखण्ड	948	948	941	965
23	लक्ष्यदीप	946	911	948	959
24	मध्यप्रदेश	931	918	919	932
25	महाराष्ट्र	929	894	922	913
26	राजस्थान	928	888	921	909
27	गुजरात	919	890	920	883

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार ने अनेक योजनाओं का शुभारम्भ किया ताकि वह समाज में आगे आ सकें। बेटी को बेटा बनाने की कवायद आप्राकृतिक है। इस आप्राकृतिक हठ से हटकर, प्रकृति मार्ग पर चलना है। बेटी को बेटी बनाना है, एक आत्मदीप, जो अपनी रोशनी से अपने परिवेश को रोशन करने में समर्थ हो। ऐसा आत्मदीप बनने वाली बेटी फिर चाहे फैक्टरी में हो, विद्यालय में, संसद में, खेल के मैदान में, खेत में, सीमा पर या घर के भीतर वह अपनी रचना, संवेदना आदि गुणों के बूते कृति और प्रकृति को पुष्ट ही करेगी। यही असल सशक्तिकरण होगा, बालिका का भी, भारत का भी और भविष्य का भी।

सन्दर्भ :

1. शिक्षित बालिकाओं से होगा सशक्त भारत, अखिलेश आर्येन्दु, कुरूक्षेत्र– 2016।
2. ''बेटी बचाओं' बेटी पढ़ाओ'' सशक्त करने की अनोखी पहल, सोनी कुमारी, कुरूक्षेत्र, जनवरी– 2016।
3. जनगणना रिपोर्ट– 2011।